भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3507

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)

पीएम-वीबीआरवाई

†3507. **श्रीमती पूनमबेन माडमः**
श्रीमती डी. के. अरुणाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के अंतर्गत पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए उक्त योजना के अंतर्गत किए गए विशेष प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएम-वीबीआरवाई योजना के भाग-ख के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए नियोक्ताओं के लिए निर्धारित पात्रता मानदण्डों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पीएम-वीबीआरवाई के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तंत्र के माध्यम से सभी पात्र कर्मचारियों को समय पर, पारदर्शी और कुशल लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, दिनांक 1 जुलाई 2025 को, विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का अनुमोदन किया। इस योजना की पंजीकरण अवधि दिनांक 01.08.2025 से दिनांक 31.07.2027 तक दो वर्ष है और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक की अवधि के लिए ₹99,446 करोड़ का बजटीय परिव्यय है।

इस योजना में दो भाग शामिल हैं, अर्थात भाग क और भाग ख, तथा यह प्रोत्साहन के माध्यम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

योजना के भाग क के अंतर्गत, मौजूदा और नए दोनों स्थापनों के पहली बार रोजगार में आने वाले कर्मचारी एक महीने के ईपीएफ वेतन के बराबर प्रोत्साहन के पात्र होंगे, जो अधिकतम ₹15,000 के अध्यधीन होगा।

जारी..2/-

यह प्रोत्साहन रोजगार के पहले वर्ष के दौरान दो किस्तों में देय होगा। ₹7,500 तक, पहली किस्त, छह महीने का निरंतर रोजगार पूरा होने के बाद वितरित की जाएगी। दूसरी किस्त के लिए पात्रता बारह महीने का रोजगार पूरा होने और निर्धारित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के सफल समापन के बाद उत्पन्न होगी। यह दूसरी किस्त एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए एक उपयुक्त बचत साधन/बचत खाते में जमा की जाएगी।

भाग ख, दो वर्षों के लिए कम से कम 6 महीने तक बनाए रखे गए प्रत्येक अतिरिक्त रोजगार के लिए प्रति माह ₹3,000 तक प्रदान करके नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करता है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र के लिए अगले दो वर्षों तक विस्तारित लाभ शामिल हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध, 1952 (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित) के अधीन आने वाले नए और साथ ही छूट प्राप्त स्थापनों सहित सभी स्थापन इस योजना के अधीन पात्र हैं, परंतु वे नियमित रूप से अंशदान के साथ ईसीआर दाखिल करते हों और योजना की अन्य शर्तों को पूरा करते हों।

कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए प्रोत्साहन की पात्रता के मानदंडों को रेखांकित करने वाले, योजना के व्यापक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। देश भर में व्यापक जनसंपर्क प्रयासों के माध्यम से इस योजना और इसके प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।

योजना से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने और लाभार्थियों तथा क्षेत्र-वार प्रगति की वास्तविक समय (रियल-टाइम) में निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल (pmvbry.epfindia.gov.in) विकसित किया गया है।

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एक सुदृढ़ निगरानी ढांचा स्थापित किया गया है। योजना की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रम-प्रधान और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधित्व वाली एक संचालन समिति और एक आंतरिक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

पीएमवीबीआरवाई एक मांग-संचालित योजना है। योजना के कार्यान्वयन से लेकर जून 2026 तक, पूरे देश में भाग क के अधीन पहली बार रोजगार में आने वाले 13.18 लाख कर्मचारियों को ₹744.58 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है, जबकि योजना के भाग ख के अधीन 67,369 लाभार्थी स्थापनों को ₹2,068.84 करोड़ वितरित किए गए हैं।

कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण, आधार प्रमाणीकरण और आधार-बैंक खाता लिंकेज के सत्यापन सहित उचित सत्यापन के पश्चात उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) ढांचे के तहत आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के माध्यम से किया जाता है। स्थापनों को प्रोत्साहन राशि का वितरण स्थापन के प्रत्यय पत्रों (क्रेडेंशियल्स) के उचित सत्यापन के पश्चात उनके पैन से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाता है।
